

## रेरा ने एक कंपनी को काली सूची में डाला

पटना। रियल स्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी (रेरा), बिहार ने मित्रमंडल कॉलोनी, अनीसाबाद में निर्माणाधीन अपार्टमेंट से जुड़ी एक कंपनी को काली सूची में डाल दिया है। मंगलवार को रera के सदस्य आरबी सिन्हा एवं एसके सिन्हा की पीठ ने इस निर्माणाधीन अपार्टमेंट से जुड़ी शिकायतों पर फैसला दिया।

इस मामले में प्लैट बुक कराने वाले शिकायतकर्ताओं ने निर्माण कंपनी पर निर्माण से पूर्व पैसे लेने के बावजूद तय समय पर प्लैट हस्तांतरित नहीं करने का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर पिछले दो साल से रera के द्वारा लगातार सुनवाई की जा रही थी। किंतु निर्माण कंपनी के द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं की जा रही थी।

PA  
MA